

**Form No.III**  
**फर्द अहकाम**  
**(नियम 26)**

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ़ जिला-अलवर

प्रकरण सं. 2/58/24 तारीख रज. 31.07.2024  
 अरका बनाम कृषि कार्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
31.7.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। तारी की ओर से पठिल तारी ने हार्बना पत्र पत्र 212 RTI पेश किया। हार्बना पत्र दर्ज रखि ठे असादीगन को जर्द रखि ठे नो रिठे तलख ठे पत्रावली आयेठा दिनांक 14.8.24 को पेश ठे।</p>	
<u>14.8.24</u>	<p>पत्रावली पेश। P.O. साहब..... अरका              को पेश ठे पत्रावली दिनांक 14.8.24 को पेश हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.</p>
18.9.24	<p>पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य स्थगित किया है। P.O. साहब..... अरका              को पेश ठे पत्रावली दिनांक 06.11.24 को पेश हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.</p>
<u>06.11.24</u>	<p>पठिल तारी..... उस्थित              साबिक आदेश दिनांक 31.7.24 को पालना में पत्रावली वास्ते तलखी रखि ठे दिनांक 16.12.24 को पेश हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.</p>
<u>16.12.24</u>	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पठिल तारी अस्थित। पत्रावली वास्ते तलखी असादीगन आयेठा दिनांक 13.1.25 को पेश हो।</p>	<p align="right">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.</p>

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

उत्तरण

बनाम

कामी बाई

प्रकरण सं. 2/58/24

तारीख रजू 31.07.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
17.03.2024	पगावली पेशा दुई/ आधीकरा संपल उप०/ आधी 2 जी डिप्लोमरी रिपोर्ट पेशा जी/ आधी संख्या 2 वषपूत सूचना के अनुपासित। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कापवारी अग्रल में जारी अग्रल है। पगावली वारन बहस दिनांक 03.04. 25 को पेशा है।	
03.04.25	पगावली पेशा दुई/ <sup>गोविन्दगढ (अलवर) राज०</sup> उपखण्ड अधिकारी वहस एकपक्षीय संपली गधी। पगावली वारन निगीप दिनांक 17.04.25 को पेशा है।	
17.04.25	पगावली वारन निगीप पेशा दुई/ <sup>गोविन्दगढ (अलवर) राज०</sup> उपखण्ड अधिकारी आधी उपासित  हस्तागत प्रकरण में आधी द्वारा एक प्र० फा अन्वित द्वारा 212 आर डी एम् (राज० कारतकारी आधीनिभम) पेशा कर कमन बिधा कि आराली सं. न. हाल 438/1 रकबा 0.1643 है०, 85/1 रकबा 0.0505 है०, 85/2 रकबा 0.1896 है०, 426 रकबा 0.3161 है०, 427 रकबा 0.3793 है०, 438/2 रकबा 0.1517 है० वाले ग्राम लीकरा हस्तगीत गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराली मुताजा के नाम से	

उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम  
अह  
जासि

सम्बन्धित छिया जा रहा है यह कि  
सापला नारायण है जो माँ की घर  
परचरी में रहते हैं परिवारी संख्या 3  
राकेश नारायणों का पिता है। गैर  
सापला संख्या 02 भुआली व गैर सापला  
। कालीबारी राती है लीना के नाम  
रेकार्ड में जो दत्त आराफी है वो  
पुरखनी पैठक सम्पत्ति है तथा गैर  
सापला संख्या 01 के नाम दत्त आराफी  
खसरा नम्बर  $\frac{438}{1}$ ,  $\frac{85}{1}$ ,  $\frac{85}{2}$  कुल छिया  
3 संयुक्त परिवार की आय से संयुक्त  
परिवार द्वारा करीब 2500 आराफी है।  
तथा खसरा न. 426, 427, 438/2,  
 $\frac{89}{2}$  बाबा सापला से गिरास्त में  
जफ्त हुआ पुरखनी आराफी है। यह कि  
गैर सापला हम वादीगण के एक व  
दिसै के समाप्त करने के अद्वैत  
से आराफी मुलनाजा को रोगर व्याप्तियों  
को रत्न रूप मुलाखिल करता चाहते  
हैं। अतः शां फा स्वीकार फरमाया  
जाकर ता फुसला वाद गैर सापला  
की अस्थानी निवेद्याबा से वाद फरमाया  
जावे।

शां फा दत्त रक्षित कर अजायगीग  
को आदिपे नौसिन तलब छिया गभा।  
आपपुन सूचना अनुपास्थित रत्ने पर  
अजायगीग के किन्तु एकपक्षीय कार्यवाही

17.04.  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दग (अलवर) राजग

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर


अरका

बनाम

कालीबाई

प्रकरण सं. २/५४/२५ तारीख रजू. ३१.०७.२०१५

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	<p>अमल में लायी गयी। बहस रूपक्षीप सुनी गयी।</p> <p>हमने फावली का अवलोकन किया बहस का मतन किया आराजी ख. न. ५३४/१, ४५१, ४५२ कालीबाई पालि रामदास शारदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है आ. ख. न. ५२६, ५२७, ५३४/२, ४९/२ काके सामे दीकरी हस्तीग गोविन्दगढ जिला अलवर कालीबाई पालि रामदास हि. ५५ शारदा, दीपक पुत्र रामदास हि. ३/४ शारदा, रमेश पुत्र रामदास हि. ३/४ शारदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने जाच फा में कथन किया गया है कि आराजी खसका नम्बर ५३४, ४५१, ४५२ कुल किल ३ खरीद गुवा आराजी है ऐसी हस्ती में जाच फा प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करना. मापौचित जरीत होता है।</p> <p>अतः आदेश है कि जाच फा प्रार्थी अन्तगत द्वारा २१२ आर २१ रम (राजस्थान काश्तकारी आधिनियम १९५५) आंशिक रूप से स्वीकार किया</p>	


  
11/07/15

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर  
अहक  
जारी

आकर अप्रार्थीगण को अस्थापी विधेयारा  
से पाबन्द किया जाता है कि वे लड़ेसता  
दावा आरापी खसरा नम्बर 426, 427,  
 $\frac{438}{2}$ ,  $\frac{89}{2}$  वार्क गाम डीकरी, पत्वार  
हल्का काहरी, तहसील गोविन्दगढ जिला  
अलवर में रिकार्ड की मसालेखी प्राथी  
गण के 9/96 भाग तक बनाये रखे  
कोराने दावा रख, बम, मुंलकिल न  
करे। यह विधि आज मरे इतरा  
। लिखाया जाकर खुले - मापालप में  
सुनाया गया। प्रावली फेंसल सुमार होकर  
नम्बर से कम हो, शामिल मूल वाक रहे।

  
17.04.2015  
जपसण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ (अलवर) राज०